

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 44/2021 राजस्व अपील

1. जगदीश पुत्र घीस्या जाति मीना निवासी ग्राम जगरामपुरा पट्टी तहसील सिकराय हाल तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोंडेन्ट

(अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 29.08.2018 उप तहसीलदार बहरावण्डा उनवानी प्रकरण सरकार बनाम जगदीश मुकदमा संख्या 258/2018 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम)

उपस्थिति : श्री समरथ लाल मीना, अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित।

: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक: 16.06.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्त के विरुद्ध पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अपीलान्त ने ग्राम बहरावण्डा में स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 116 रकबा 0.15 है. किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर सम्वत 2075 में काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को कोई सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही निर्णय दिनांक 29.08.2018 पारित कर अपीलान्त को 90 दिवस के सिविल कारावास, बेदखली व पेनल्टी से दण्डित कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 29.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोंडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को बिना कोई सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही यह निर्णय पारित किया है। अपीलान्त की ओर से इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम बहरावण्डा स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 116 रकबा 0.15 है. पर से अपीलान्त शपथकर्ता ने अपना अतिक्रमण पूर्ण रूप से हटा लिया है। आज रोज उक्त भूमि पर अपीलान्त का कोई अतिक्रमण नहीं है। भूमि पूर्ण रूप से खाली है। अपीलान्त शपथकर्ता भविष्य में उक्त भूमि पर अतिक्रमण व अतिचार नहीं करेगा। अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा अपील अपीलान्त स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्त ने ग्राम बहरावण्डा स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 116 रकबा 0.15 है. किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर बाजरे की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही कर अपीलान्त को 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा व पेनल्टी से दण्डित किया गया है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपील अपीलान्त खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्त द्वारा ग्राम बहरावण्डा स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 116 रकबा 0.15 है. किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर से अपना अतिक्रमण पूर्ण रूप से हटा लिया जाना, उक्त भूमि वर्तमान मौके पर खाली होना तथा भविष्य में उक्त भूमि पर कब्जा नहीं किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि ग्राम बहरावण्डा स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 116 रकबा 0.15 है. किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर कब्जा नहीं होने बाबत अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा सत्यापित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.08.2018 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 29.08.2018 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रतिकृति के साथ अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फौजदारी जसुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट लेख भण्डार की जावे।

(सुरेश कुमार)

अति० जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 16.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार)

अति० जिला कलक्टर ,दौसा